संख्या-57/2023/I/456042/2023/003-71-4099-36-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सां शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 26 दिसंबर, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत संचालित मेडिकल कॉलेज के रेडियेशियन आनकोलाजी विभाग हेतु Tomo-Mammography (Digital Breast tomosynthesis) Unit के क्रय हेतु में मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2405/ई0यूपीयूएमएस/सा0प्र0(1194-सीडी)/2023-24, दिनांक-23.09.2023 के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/605, दिनॉक-06.11.2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050500 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा के अन्तर्गत संचालित मेडिकल कॉलेज के रेडियेशियन आनकोलाजी विभाग हेतु Tomo-Mammography (Digital Breast tomosynthesis) Unit के क्रय हेतु मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में (बी0एम0 प्रपत्र-9 के अनुसार) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 (यथासंशोधित) उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा। बजट का संक्रमण/आवंटन, सम्बन्धित मद में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

6. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

7. प्रश्नगत उपकरण का क्रय पूर्व निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जाएगा। उपकरण का स्पेशिफिकेशन निर्धारित नही है, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के अन्य विशेषज्ञों की समिति गठित कर स्पेशिफिकेशन निर्धारित कराये जाने के उपरान्त उपकरणों का क्रय किया जाय।

8. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपकरण क्रय किये जायें।

9. प्रश्नगत उपकरण की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था /वित्त नियंत्रक/कुलसचिव/क्रय समिति की होगी।

10. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।

11. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यहयावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

13. उपकरण के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

14. उपकरण के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डलर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

16. विश्वविद्यालय द्वारा रू० 1.00 करोड़ से अधिक के उपकरण एच0एल0टी0सी0 के माध्यम से क्रय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050500 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्व विद्यालय, सैफई, इटावा।
8. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
9. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
10. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
12. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।